



गांव को 'हर घर जल' घोषित करने की प्रक्रिया

(संदर्भ: पैरा 5.4, 'ग्राम पंचायत के लिए मार्गदर्शिका और ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वी.डब्ल्यू.एस.सी.' का पृष्ठ 53)

'ग्राम पंचायत एवं वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका' के प्रावधानके तहत गाँव में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण होने के बाद एक उद्घाटन/ कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा. जिसमें उस गाँव के फील्ड इंजीनियर एक रिपोर्ट और प्रमाणपत्र के आधार पर ग्राम सभा एक ठराव पास करेगी। उसके बाद ग्राम पंचायत / वी.डब्ल्यू.एस.सी.'हर घर जल' प्रमाण पत्र जारी करेगी :

जल जीवन मिशन	
हर घर जल - प्रमाण पत्र	
में <u>विपिन तिवारी</u> , सरपंच/अध्यक्ष, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति, <u>प्रहोज</u> ग्राम पंचायत, <u>कन्नौज</u> जिला, राज्य का	
<u>और मैं रोहेरा कुमार</u> , पंचायत सचिव, प्रमाणित करता हूँ कि गांव के सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है। हर नल से पर्याप्त मात्रा में और नियमित रूप से शुद्ध जल मिल रहा है। यह प्रमाणपत्र ग्राम सभा के संकल्प/ ठराव सं	
<u>25/05/2022</u> तारीख <u>02/05/2022</u> के आधार पर आज	
<u>25/05/2022</u> जारी किया गया है।	
<u>विपिन तिवारी (प्रधान)</u> वि० ख० तालग्राम (कन्नौज) हस्ताक्षर	ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत <u>प्रहोज</u> हस्ताक्षर <u>रोहेरा कुमार</u>
(सरपंच/ वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति के अध्यक्ष/ अध्यक्ष का नाम)	(पंचायत सचिव का नाम)
आधिकारिक मुहर	आधिकारिक मुहर

जे.जे.एम. ऐप में इस प्रक्रिया को शामिल किया गया है। संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी/ फील्ड इंजीनियर के प्रमाणपत्र तथा ग्राम सभा का संकल्प/ ठराव निम्नानुसार है:



- 11 घरों और संस्थानों से निकलने वाले ग्रे वाटर का वैज्ञानिक विधि से निपटान किया जा रहा है/ किया जाएगा, तथा
- 12 वर्षा जल संचयन/भूजल पुनर्भरण संरचना लागू कर दी गई है/की जाएगी।

28/04/22
नामित पर्यवेक्षी अधिकारी
(तारीख के साथ हस्ताक्षर)

पी एच डी डी /आर डब्ल्यू एस एस

.....



अनुलग्नक

'हर घर जल'- गांव

प्रमाणपत्र

(पी.एच.ई./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा)

जिला: कटकी

ब्लॉक: नातगाम

ग्राम पंचायत: मसिता


गांव: मसिता


यह प्रमाणित किया जाता है कि यह गांव 'हर घर जल' है अर्थात निम्नलिखित कार्यों की पूर्णता के अवलोकन के पश्चात, दिनांक ०२/०१/२०१९ तक गांव के सभी घरों में नल जल कनेक्शन दे दिए गए हैं :


1. सभी घरों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है;
2. सभी नल कनेक्शन पाइप को क्लैप के साथ दीवारों पर लगाया गया है और खुली जगह के मामले में, पाइप उचित सीमेंट-कंक्रीट (सीसी) प्लेटफॉर्म में स्थित कर दिए गए हैं;
3. सभी घरों में नल के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति की जा रही है;
4. सभी घरों में नल के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता सुरक्षित है (आईएस 10500 के अनुसार);
5. गांव में वितरण पाइप लाइन से पानी का रिसाव नहीं हो रहा है;
6. सभी ग्राम पदाधिकारियों के नाम जैसे ग्राम पंचायत सदस्य, वी.डब्ल्यू.एस.सी. सदस्य, ओ एंड एम स्टाफ, एफ.टी.के. का उपयोग करने के लिए परीक्षण के लिए प्रशिक्षित 5-व्यक्ति और संबंधित पी.एच.ई.डी. अधिकारी की पहचान की गयी है और आई.एम.आई.एस. पर अपलोड कर दिया गया है;
7. जिस परिवार को नल कनेक्शन दिया गया है, उसका विवरण आई.एम.आई.एस. पर अपलोड कर दिया गया है;
8. जलापूर्ति कार्य पूरा होने के बाद सभी सड़कों को सुधार दिया गया है;
9. सरपंच/ वार्ड सदस्यों के साथ एक ट्रान्सेक्ट वॉक का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीणों को घरेलू नल कनेक्शन और संदूषण मुक्त शुद्ध पानी पीने के लाभों के बारे में शिक्षित कर दिया गया है;
10. सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ियों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केन्द्र एवं आश्रमशाला को जल कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है;



- i.) तिमाही में कम से कम एक बार पानी का नमूना परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा;
- ii.) एफ.टी.के. से परीक्षण करके परिणाम JJM-WQMIS पोर्टल पर साझा किया जाएगा;
- iii.) सेन्सर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए सेंसर स्थापित करने के लिए मदद और उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा;
- iv.) संचालन और रखरखाव के लिए प्रति घर ₹५०/- रूपए का जल उपयोग शुल्क पानी समिति के बैंक खाते में लिया जाएगा।


पंचायत सचिव


ग्राम पंचायत अध्यक्ष


विभागाध्यक्ष (पानी)
वि. व. तालुका (कन्नौज)
सरपंच/ अध्यक्ष/ अध्यक्ष
वी. डब्ल्यू. एस. सी./ पानी समिति

(नाम मुहर सहित)
ग्राम पंचायत/ गांव मेहोला
खंड ता. व. तालुका
जिला कन्नौज

(नाम मुहर सहित)
ग्राम पंचायत/ गांव मेहोला
खंड ता. व. तालुका
जिला कन्नौज

.....



5. पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को एफ. टी. के. (फील्ड टेस्टिंग किट) का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है (नाम और वर्तमान संपर्क नंबर):

- i.) प्रीति, माया, 9891802511
- ii.) ममता - 875294956
- iii.) आर्या देवी - 8127973050
- iv.) ममता - 9005301928
- v.) ममता - 9335685089

6. योजना के नियमित संचालन और रखरखाव के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की पहचान की गई है (नाम, पदनाम और वर्तमान संपर्क नंबर):

- i.) महिन्द्रा सिंह - पम्प ऑपरेटर 7897166844
- ii.) राजवीर सिंह - " 790587018

7. तकनीकी सहायता के लिए आर. डब्ल्यू. एस./ पी.एच. ई. विभाग के कार्मिक निम्नानुसार हैं

(नाम, पदनाम और वर्तमान संपर्क नंबर):

- i.) ई. शक्ति कुमार, सहायक अभियंता 9412879122
- ii.) मञ्जिवेक मौर्य - छगियर इंजीनियर 8726553846

8. गाँव के इलेक्ट्रिशियन, पाइप मिस्त्री, राजगीर, आदि कुशल कारीगर, जो सिस्टम को बहाल करने में मदद करेंगे, निम्नानुसार हैं (नाम, पदनाम और वर्तमान संपर्क नंबर):

- i.) मनोज कुमार, इलेक्ट्रिशियन, 9795321923
 - ii.) आर्यु पाइप मिस्त्री - 831027221
 - 3 - सुनील शर्मा, राजगीर - 6388476826
 - 4 - हरिमान कुमार कारीगर - 875294956
- ग्राम पंचायत/वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति, संकल्प/ ठाराव करती है कि गाँव में जलापूर्ति के लिए प्रदान किए गए नल कनेक्शन और प्रबंधन के लिए मानव संसाधन ऊपर वर्णित विवरण के अनुसार हैं। ग्राम पंचायत निम्नानुसार संकल्प लेती है कि :



'हर घर जल' घोषित करने के लिए ग्राम पंचायत का ठराव/ संकल्प
संकल्प/ ठराव संख्या: ०१

दिनांक: ०२/०५/२२

संदर्भ: आर. डब्ल्यू. एस./पी. एच. ई. विभाग का प्रमाण पत्र (संलग्नक)

विषय: 'हर घर जल' गांव की घोषणा - गाँव के सभी घरों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति,
न्यूनतम 55 लीटर, स्वच्छ जल की आपूर्ति हेतु नल कनेक्शन के बारे में।

जिला: रुनौल

ब्लॉक: तालगाँव

ग्राम पंचायत : महोला

गांव: मे.होला

1. घरों की कुल संख्या: 340

2. नल कनेक्शन वाले घरों की संख्या : 340

3. संस्थानों में नल कनेक्शन का विवरण :

i.) ग्राम पंचायत भवन : ०१ तग

ii.) स्वास्थ्य केंद्र: —

iii.) स्कूल: — ०१ तग

iv.) आंगनवाड़ी: — ०१ तग

v.) आश्रमशाला : — ०१ तग

vii) मवेशी प्याऊ : —

viii) सामुदायिक स्नान घाट : —

viii.) सामुदायिक शौचालय : —

4. सामुदायिक योगदान और बैंक खाते का विवरण:

i.) नकद —

ii.) साधन सामग्री : —

iii.) श्रमदान : —

iv.) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें): —

v.) बैंक खाते का विवरण: —



Har Ghar Jal
La Jeevan Mission

11. घरों और संस्थानों से निकलने वाले ग्रे वाटर का वैज्ञानिक विधि से निपटान किया जा रहा है/ किया जाएगा; तथा
12. वर्षा जल संचयन/भूजल पुनर्भरण संरचना लागू कर दी गई है/की जाएगी।

A. K. 1.11.22
नामित पर्यवेक्षी अधिकारी
(तारीख के साथ हस्ताक्षर)

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस.एस.
